

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2- 247 / ग्यारह-9(341)/09-उ0प्र0अधि0-5-08-आदेश-(58)-2010
लखनऊ: दिनांक: 24 फरवरी, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग), के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि निर्माता-निर्यातकों को उसके द्वारा निर्मित माल के उपयोग या उसके द्वारा निर्मित माल के पैकिंग के उपयोग के लिये किसी कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, कन्ज्यूमेबुल स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज, पुर्जाँ, लुब्रीकैन्ट्स, पेट्रोल और डीजल से भिन्न ईंधन और पैकिंग सामग्री की सीधी बिक्री या सीधी खरीद के व्यापारावर्त पर दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से उक्त अधिनियम के अधीन कोई कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन संदेय नहीं होगा :-

शर्तें

- (एक) उक्त सुविधा केवल तभी उपलब्ध होगी, जब निर्मित माल का निर्यात भारत के बाहर किया जाय;
- (दो) विक्रेता व्यवहारी को इस सुविधा का लाभ निर्माता-निर्यातक से प्राप्त कमिश्नर द्वारा विहित प्रपत्र में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होगा;
- (तीन) यदि निर्मित माल का निर्यात भारत के बाहर नहीं किया जाता है, तो इस अधिसूचना के लाभ का दावा करने वाले निर्माता-निर्यातक व्यापारी ऐसे माल के क्रय पर उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान का और ऐसे माल के क्रय के दिनांक से ब्याज का भी दायी होगा और यदि ऐसे निर्मित माल का निर्यात भारत के बाहर किया जाता है और उसे अन्यथा बेचा या बिक्री से अन्यथा उसे व्ययनित किया जाता है तो कर के लिये दायी ऐसे माल की खरीद निर्यात किये गये माल और अन्यथा बेचे गये या विक्रय से भिन्न व्ययनित माल की मात्रा के अनुपात के अनुसार अवधारित की जायेगी;

(चार) निर्माता-निर्यातक कर अवधि में किये गये निर्यात के सम्बन्ध में निर्यात का प्रमाण यथा-फार्म-एच, बिल आफ लेडिंग, एअर-वे बिल आदि कर अवधि समाप्ति के तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा;

(पाँच) यदि इस अधिसूचना के अधीन निर्माता-निर्यातक उक्त सुविधा का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 54 के अधीन दण्डित कार्यवाहियों का दायी होगा;

(छः) इस अधिसूचना के अधीन उक्त सुविधा का दुरुपयोग किये जाने की स्थिति में अभियोजन की कार्यवाहियाँ भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन की जा सकती है।

आज्ञा से,



(देश दीपक वर्मा)

प्रमुख सचिव।